भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2120 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया

2120. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की जांच कराई है, जिसके कारण वहां 18 लोगों की मौत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया विकसित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थायी होल्डिंग एरिया के विकास के लिए पहचान किए गए रेलवे स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन होल्डिंग एरिया को अमृत भारत स्टेशन योजना में एकीकृत करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) स्थायी होल्डिंग एरिया के विकास के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था और उन्नयन करना सतत और चालू प्रक्रिया है। भारतीय रेल स्टेशन की आवश्यकताओं के आधार पर

समय-समय पर भीड़ को संभालने के लिए विभिन्न उपाय करती है। उदाहरण के लिए, उधना, पटना, नई दिल्ली और प्रयागराज क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए हाल ही में स्टेशनों के बाहर प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया था। इन स्टेशनों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद स्टेशनों के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए अन्य उपायों में पहुंच नियंत्रण, टिकट की जांच, सीसीटीवी कैमरे, वॉर रूम, घोषणा प्रणाली में सुधार, डिजिटल संचार आदि शामिल हैं जो सतत और चालू प्रक्रिया है।

****

sk